न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 2021/131 भीलवाड़ा

श्री आदित्य व्यास आत्मज श्री ओम प्रकाश व्यास उम्र 30 वर्ष, व्यवसाय माईनिंग एवं मिनरल ट्रेडिंग निवासी 93–ए सुफलाम सुभाषनगर भीलवाडा(311001) राजस्थान मोबाईल नम्बर 7737702222

अपीलार्थी

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
दिंनाक 19–8–2020

————

उपस्थितः 1– श्री आनन्द स्वरूप व्यास अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक :– 20–02–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी भीलवाडा का निवासी है तथा राज्य के विभिन्न स्थानों पर माईनिंग व मिनरल का व्यापार करता है। माईनिंग क्षैत्र में अनेक माफिया डवलप हो गये है जो समय समय पर पुलिस पर भी अतिक्रमण करते है अपीलार्थी द्वारा रात के समय माइनिंग एरिया में मजदूरों को रकम चुकाने बिक्री की रकम प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है उस समय उसके पास बडी मात्रा में रकम होने के कारण लूट खसोट एवं हत्या होने की आशंका बनी रहती है इस कारण नवीन लाईसेंस हेतु आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र दिनांक 19–8–2020 द्वारा निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 19–8–2020 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी दाधीच कुल दीपक है जिनका कुल अंतिम हिन्दू सम्राट पृथ्वी राज के समय से देश रक्षा के लिए बलिदान देता रहा है। सन् 1857 ईस्वी की क्रान्ति में भीलवाड़ा से आठ किलो मीटर उत्तर दिशा में स्थित कोठारी नदी के पहले गुढ़ा गांव के युद्ध में अपीलार्थी के पूर्वज श्री निहाल जी गदिया ने तात्या टोपे का साथ दिया तथा अंग्रेजो की सेनाओं से लड़े। इसका उल्लेख सर यदुनाथ सरकार ने भारत का इतिहास पुस्तक तथा मोहनलाल गुप्ता की पुस्तक भीलवाड़ा के इतिहास में किया है। अपीलार्थी को व्यावसायिक सुरक्षा, व्यापारिक सुरक्षा, धार्मिक अनिवार्यता, पारिवारिक रीतिरिवाज के अनुसार आवश्यकता आदि होने से नवीन आर्म्स अनुज्ञापत्र प्राप्त कर नवीन शस्त्र के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलार्थी को कोई खतरा नहीं है जो पूर्णतः गलत है। उन्होंने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 14 का पालन नही किया है। इसें खतरा नहीं होने के आधार पर आर्म्स लाईसेंस के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आधार नहीं बताया है। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14 के अनुसार निरस्त नहीं किया है बल्कि अन्य आधार पर किया है जो उनके क्षैत्राधिकार एवं कानून के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–2020 निरस्त कर अपीलार्थी को नवीन आर्म्स रखने का लाईसेंस जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन अजमेर की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना अनुचित है तथा अपीलार्थी ने आत्म सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा है। अपीलार्थी को किसी प्रकार का खतरा होना जानकारी में नहीं आया है। अतः अपीलार्थी को इस कारण से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर पत्रित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी ने जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष राज्य के विभिन्न स्थानों पर माईनिंग व मिनरल का व्यापार करता है। माईनिंग क्षैत्र में अनेक माफिया डवलप हो गये है जो समय समय पर पुलिस पर भी अतिक्रमण करते है अपीलार्थी द्वारा रात के समय माइनिंग एरिया में मजदूरों को रकम चुकाने बिक्री की रकम प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है उस समय उसके पास बडी मात्रा में रकम होने के कारण लूट खसोट एवं हत्या होने की आशंका बनी रहती है इस कारण नवीन लाईसेंस हेतु आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता है कि अपीलार्थी पर किस माफिया द्वारा कहां पर एवं कब हमला किया जिससे उसकी जान को खतरा हुआ हो के संबंध में किसी थाना क्षैत्र में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई हो ऐसा कोई दस्तावेज अपीलार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में आवेदक को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना अनुचित है का उल्लेख किया है तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन अजमेर द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि आवेदक ने आत्म रक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र चाहा है। आवेदक को किसी प्रकार का खतरा होना जानकारी में नहीं आया है। अतः आवेदक को इस कारण से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र उनके आदेश दिनांक 19–8–2020 द्वारा निरस्त किया जाकर पत्रित किया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक न्याय/ 2020/ आर–24219 दिनांक 19–08–2020 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर